



संख्या : 1850 / रेसपो / क्वालिटी सेल

दिनांक: २४- जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र०पा०का०लि० के पत्र सं० 1122/रेसपो/क्वालिटी संल दि० 18.04.2022 द्वारा वितरण परिवर्तकों के समुचित रख-रखाव एवं स्थापना हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर क्षेत्रीय अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई थी कि उनके द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए, परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता दर को लक्षित 5 प्रतिशत की सीमा तक रखने हेतु गम्भीर प्रयास किये जायेंगे। इसी क्रम में एतद् द्वारा क्षतिग्रस्तता के कारणों को निर्धारित करने एवं उनकी रोकथाम हेतु परिवर्तकों की क्षमतानुसार सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों के उत्तरदायित्व निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं:

क्र०सं०	परिवर्तक की क्षमता	परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने पर	उत्तरदायित्व
शहरी क्षेत्र में			
1	10 KVA 16 KVA 25 KVA 63 KVA & 100 KVA	सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं उपखण्ड अधिकारी क्षतिग्रस्त परिवर्तकों के क्षतिग्रस्त होने के समुचित कारणों का विश्लेषण, संलग्न प्रारूप में निर्धारित करते हुये, आख्या सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता वितरण के माध्यम से डिस्काम को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।	अवर अभियन्ता
2	250 KVA & 400 KVA	सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता (मीटर) द्वारा क्षतिग्रस्त परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने के समुचित कारणों का विश्लेषण, संलग्न प्रारूप में निर्धारित करते हुये, आख्या सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता वितरण के माध्यम से डिस्काम को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।	उपखण्ड अधिकारी
3	630 KVA 750 KVA 800 KVA 990 KVA & 1000 KVA	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) एवं अधिशासी अभियन्ता (विद्युत परीक्षण खण्ड) द्वारा क्षतिग्रस्त परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने के समुचित कारणों का विश्लेषण, संलग्न प्रारूप में निर्धारित करते हुये, आख्या सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता वितरण के माध्यम से डिस्काम को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।	अधिशासी अभियन्ता

क्र०सं०	ग्रामीण क्षेत्र में		
	परिवर्तक की क्षमता	परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने पर	उत्तरदायित्व
1	10 KVA 16 KVA 25 KVA 63 KVA & 100 KVA	सम्बन्धित अवर अभियन्ता क्षतिग्रस्त परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने के समुचित कारणों का विश्लेषण, संलग्न प्रारूप में निर्धारित करते हुये, आख्या सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता वितरण के माध्यम से डिस्काम को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।	अवर अभियन्ता
2	250 KVA & 400 KVA	सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता (मीटर) द्वारा क्षतिग्रस्त परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने के समुचित कारणों का विश्लेषण, संलग्न प्रारूप में निर्धारित करते हुये, आख्या सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता वितरण के माध्यम से डिस्काम को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।	उपखण्ड अधिकारी
3	630 KVA 750 KVA 800 KVA 990 KVA & 1000 KVA	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) एवं अधिशासी अभियन्ता (विद्युत परीक्षण खण्ड) द्वारा क्षतिग्रस्त परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने के समुचित कारणों का विश्लेषण, संलग्न प्रारूप में निर्धारित करते हुये, आख्या सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता वितरण के माध्यम से डिस्काम को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।	अधिशासी अभियन्ता

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 1850 /रेसपो/क्वालिटी सेल

दिनांक: 28 जून, 2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वितरण), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पू०वि०वि०नि०लि०, म०वि०वि०नि०लि०, द०वि०वि०नि०लि०, प०वि०वि०नि०लि० एवं केस्को

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक